

क्रोकस एग्जीबिशन सेंटर मॉस्को -, रूस में 17 से 20 सितंबर 2024 तक आयोजित “वर्ल्ड फूड मॉस्को” में “इंडिया पवेलियन” की अवधारणा, डिजाइन और निर्माण-कार्य के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा आमंत्रित बोलियां

1. परिचय:

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) वाणिज्य विभाग, भारत सरकार के अधीन एक संगठन है जो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात संवर्धन का प्रमुख संगठन है।

2. वर्ल्ड फूड मॉस्को – 2024 के बारे में:

- 2.1 वर्ल्ड फूड मॉस्को, मॉस्को, रूस के में आयोजित होने वाली एक अंतरराष्ट्रीय शरदकालीन खाद्य और पेय प्रदर्शनी है। यह एक व्यावसायिक प्लेटफॉर्म है जहाँ खाद्य विनिर्माता और संबंधित सेवा प्रदाता खुदरा, थोक, खाद्य उद्योग के खरीदारों के साथ-साथ खाद्य और पेय के वितरकों और निर्यातकों से मिलते हैं।
- 2.2 कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) वर्ल्ड फूड मॉस्को-2024 कार्यक्रम में भाग ले रहा है तथा यह भारतीय कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के प्रदर्शन एवं विपणन के लिए इंडिया पवेलियन भी स्थापित करेगा। यह इवेंट 17-20 सितंबर, 2024 को क्रोकस एग्जीबिशन सेंटर – मॉस्को (जिसे बाद में “इवेंट” कहा जाएगा) में आयोजित किया जाएगा।

3. असाइनमेंट के बारे में:

- 3.1 एपीडा उपरोक्त प्रदर्शनी में इंडिया पवेलियन के डिजाइन, निर्माण-कार्य और रखरखाव के लिए इच्छुक प्रतिष्ठित एजेंसियों से आरएफपी/बोली आमंत्रित कर रहा है।
- 3.2 इस इवेंट के लिए इंडिया पवेलियन का कुल क्षेत्रफल 204 वर्ग मीटर है (पवेलियन का लेआउट संलग्न है)।
- 3.3 कार्य-क्षेत्र तथा नियम व शर्तें नीचे पैरा 5 से पैरा 7 में दी गई हैं।

4. बोलियां प्रस्तुत करने की पात्रता:

- 4.1 समान प्लेटफार्मों पर समान कार्य के निष्पादन में वांछित अनुभव/विशेषज्ञता के अनुसार निम्नलिखित योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाली और सहायक दस्तावेजों के साथ ठोस वित्तीय स्थिति रखने वाली एजेंसियां बोली प्रक्रिया में भाग ले सकती हैं।

क. पात्रता के आकलन हेतु अपेक्षित दस्तावेज:

एजेंसी का नाम, पता, जीएसटी पंजीकरण संख्या, पैन कार्ड, पिछले पांच वित्तीय वर्षों का टर्नओवर, वांछित क्षेत्र में आयोजित इवेंट्स के नाम और वर्ष जैसे विवरण अनुलग्नक-1 में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार सहायक दस्तावेजों की प्रतियों के साथ उल्लेखित किए जाने हैं।

क्र. सं.	पात्रता मापदंड	अपेक्षित दस्तावेज
4.2.1	<p>एजेंसी ने पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत के बाहर कम से कम तीन अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए हों, जिनमें पवेलियन की अवधारणा, डिजाइन और रखरखाव की आवश्यकता हो, तथा जिनका आयोजन टर्नकी आधार पर किया गया हो, जिसमें (क) प्रत्येक इवेंट के लिए पवेलियन का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर से कम नहीं हो।</p> <p>(ख) ऐसे इवेंट्स का वित्तीय मूल्य प्रति इवेंट 50.00 लाख रुपये से कम नहीं होना चाहिए।</p>	एजेंसी के अस्तित्व की तारीख दर्शाने वाला सीए प्रमाणपत्र, पिछले 5 वित्तीय वर्षों का टर्नओवर और पिछले 5 वित्तीय वर्षों के दौरान निष्पादित कार्य आदेशों की प्रतियों के साथ अनुलग्नक-4 के रूप में कार्यरत सीए द्वारा हस्ताक्षरित और एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित निष्पादित इवेंट्स का वर्ष-वार विवरण देते हुए पिछले 5 वित्तीय वर्षों के दौरान निष्पादित इवेंट्स की संख्या, साथ ही और अतिरिक्त दस्तावेज, यदि कोई हों।
4.2.2	<p>एजेंसी को पिछले 5 वित्तीय वर्षों में से किसी भी तीन वर्षों के दौरान इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में पवेलियन के निर्माण-कार्य, डिजाइन और रखरखाव से संबंधित) से 3,00,00,000 रुपये (तीन करोड़ रुपये मात्र) का औसत कारोबार अर्जित करना चाहिए। कारोबार केवल आवेदक संगठन के नाम पर होना चाहिए, न कि समूह/सहयोगी संगठनों के नाम पर।</p>	

4.3 एक स्व-घोषणा प्रस्तुत करनी होगी जिसमें उल्लेख हो कि एजेंसी को किसी भी सरकारी संगठन द्वारा ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला गया है और अनुलग्नक 5 के अनुसार यह आज की तिथि तक लागू नहीं है।

ख. प्रसंस्करण शुल्क, ईएमडी और कार्य-निष्पादन प्रतिभूति:

4.4 नई दिल्ली में देय एपीडा के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के रूप में 15,000/- रुपये (18% जीएसटी सहित) का गैर-वापसीयोग्य आवेदन-सह-प्रसंस्करण शुल्क = 17,700/- रुपये (सत्रह हजार सात सौ रुपये मात्र)।

4.4.1 नई दिल्ली में देय में “एपीडा” के पक्ष में आहरित 5,00,000/- रुपये (पाँच लाख रुपये मात्र) के डीडी के रूप में ब्याज मुक्त बयाना जमाराशि (ईएमडी) ।

- 4.4.2 आवेदन-सह-प्रसंस्करण शुल्क और ईएमडी के बिना बोली को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- 4.4.3 एनएसआईसी और एमएसएमई पंजीकृत एजेंसी को ईएमडी जमा करने से छूट अनुलग्नक-1 में दिए गए विवरण के अनुसार संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी “छूट प्रमाण पत्र” की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करने की शर्त पर लागू होगी।
- 4.4.4 एजेंसी के चयन के बाद असफल बोलीदाता को ईएमडी वापस कर दी जाएगी।
- 4.5 अनुबंध मूल्य (ईएमडी सहित) के @5% की दर से कार्य-निष्पादन प्राप्त करने वाली एजेंसी द्वारा जमा की जानी चाहिए। सभी अनुबंधीय दायित्वों के पूरा होने की तिथि से साठ दिनों तक प्रदर्शन सुरक्षा वैध रहनी चाहिए। प्राप्त करने वाली एजेंसी द्वारा जमा की गई ईएमडी की राशि को इस उद्देश्य के लिए विधिवत रूप से ध्यान में रखा जाएगा और अनुबंध मूल्य के 5% तक की शेष राशि एजेंसी द्वारा जमा की जानी चाहिए। एनएसआईसी और एमएसएमई पंजीकृत संगठनों को भी कार्य-निष्पादकता जमा करनी होगी।

5 कार्य-क्षेत्र

5.1 सामान्य दिशानिर्देश

- 5.1.1 वर्तमान असाइनमेंट "वर्ल्ड फूड मॉस्को 2024" में "इंडिया पवेलियन" के लिए टर्नकी आधार पर डिजाइन/निर्माण-कार्य और रखरखाव कार्य करना है। स्पष्ट समझ के लिए, पूरे आरएफपी दस्तावेज़ को एक साथ पढ़ा जाए, और दस्तावेज़ में कहीं और उल्लिखित कर्तव्य भी एजेंसी के कर्तव्यों का हिस्सा होंगे।
- 5.1.2 “वर्ल्ड फूड मॉस्को 2024” में इंडिया पवेलियन का निर्माण-कार्य ड्राइंग/लेआउट में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार किया जाएगा जिसमें डिस्प्ले प्रॉप्स/फर्नीचर, लाइट्स, कार्पेट, बिजली कनेक्शन, फेशिया, मार्ग क्षेत्र की कआर्पेटिंग, टाइटल ग्राफिक्स आदि शामिल होंगे। ड्राइंग/लेआउट योजना संलग्न है।
- 5.1.3 कार्य में संयोजन, विखंडन, जल निकासी, सामग्री प्रबंधन, परिवहन, रखरखाव, पवेलियन खोलने से पहले दिन की सफाई और उसके बाद दैनिक अपशिष्ट निपटान से संबंधित सभी गतिविधियां शामिल होंगी।
- 5.1.4 इंडिया पवेलियन के लिए आरक्षित स्थान पर पवेलियन उपलब्ध कराने और निर्माण-कार्य के लिए निर्धारित तिथि और उससे संबंधित अन्य दिशा-निर्देश आयोजक की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। हालाँकि, पूरे पवेलियन को सभी मापदंडों पर 16 सितंबर, 2024 को शाम 4.00 बजे (आईएसटी) / दोपहर 1:30 बजे (मॉस्को) तक पूरा किया जाएगा।
- 5.1.5 प्रस्तावित इंडिया पवेलियन को पूर्णतः लकड़ी की सामग्री का उपयोग करके डिजाइन और विकसित किया जाएगा। कार्य-क्षेत्र में निम्नलिखित सुविधाओं का डिजाइन, विकास और रखरखाव शामिल होगा:

- i. थीम/सामान्य एरिया (प्रदर्शक स्टॉल को छोड़कर)
- ii. प्रदर्शक स्टॉल
- iii. वेट सैम्पलिंग एरिया
- iv. ब्रांडिंग इंडिया
- v. अन्य गतिविधियां/कर्तव्य

5.2 थीम/सामान्य एरिया के लिए विनिर्देश:

5.2.1 थीम एरिया लगभग 36 वर्ग मीटर। एरिया को उत्थापित लकड़ी के फर्श से अलग रखा जाएगा।

5.2.2 थीम क्षेत्र को 'वॉल से वॉल' तक नए कालीन से ढंकना चाहिए।

5.2.3 एक छोटा सा खुला लाउंज जिसमें 6-8 लोगों के बैठने की क्षमता हो।

5.2.4 ग्लास, ऐक्रेलिक या लाइक्रा सामग्री के बैकलिट कोलाज के बैकड्रॉप के साथ रिसेप्शन एरिया।

5.2.5 एपीडा प्रदर्शकों के प्रचार वीडियो के प्रदर्शन के लिए 3X2 मीटर आकार की दो बड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली एलईडी वीडियो वॉल।

5.2.6 आगंतुकों के लिए पीने के पानी, चाय, कॉफी और स्नैक्स की पर्याप्त आपूर्ति के साथ चाय/कॉफी, पीने के पानी, माइक्रोवेव ओवन, रेफ्रिजरेटर और डीप फ्रीजर के प्रावधान के साथ पेंट्री सहित एक भंडारण क्षेत्र।

5.2.7 एजेंसी फर्नीचर वस्तुओं की आवश्यकता का आकलन करेगी और तदनुसार प्रदर्शक स्टाल सहित व्यवस्था करेगी।

5.2.8 सामान्य क्षेत्र में बैक-लिट ग्राफिक्स पैनल उपलब्ध कराए जाएंगे।

5.2.9 पवेलियन को पर्याप्त सफेद रोशनी से रोशन किया जाएगा ताकि पूरे पवेलियन में अंधेरा न हो।

5.2.10 वर्ल्ड फूड मॉस्को में प्रदर्शित किए जाने वाले उत्पाद एपीडा द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। एजेंसी इन्हें एपीडा के दिल्ली कार्यालय से मॉस्को में एपीडा पवेलियन तक लाने के लिए एपीडा अधिकारियों के साथ समन्वय करना सुनिश्चित करेगी। माल ढुलाई और सीमा शुल्क की लागत वास्तविक के रूप में प्रतिपूर्ति की जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि चयनित संगठन लागत की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए ऐसी सामग्री की मात्रा और वजन से संबंधित उचित रिकॉर्ड रखना सुनिश्चित करेगा। उत्पाद में खाने के लिए तैयार भोजन/करी, ताजे और जमे हुए फल और सब्जियां और उनकी तैयारी, चटनी, अचार, खीरा, वाइन, मिलेट और उनके उत्पाद आदि शामिल होंगे।

5.2.11 पवेलियन स्टॉल के निर्माण/, स्टॉल की ऊंचाई और अन्य मामले से संबंधित स्थान प्रदान करने वाले प्राधिकारी द्वारा लगाई गई आगे की शर्तों प्रतिबंधों के लिए/, बोलीदाता को सियाल पेरिस2024- इवेंट साइट यानी <https://world-food.ru/en/> पर जाने की सलाह दी जाती है।

5.3 प्रदर्शक स्टॉल के लिए विनिर्देश:

5.3.1 प्रदर्शकों के लिए " इंडिया पवेलियन" में 9 वर्ग मीटर (एपीडा द्वारा प्रदान की गई डिजाइन/लेआउट योजना के अनुसार) तक के कार्पेट एरिया के अधिकतम संख्या में स्टॉल का निर्माण-कार्य। हालांकि ये सांकेतिक आकार हैं , लेआउट की योजना इस तरह से बनाई जाए कि प्रत्येक स्टॉल की अधिकतम संख्या 9 वर्ग मीटर हो ताकि स्थान का इष्टतम उपयोग किया जा सके। स्टॉल की संख्या और आकार के संबंध में अंतिम निर्णय एपीडा का होगा।

5.3.2 संबंधित प्रदर्शकों से व्यवस्थित किए जाने वाले टीपी/डिजाइन के अनुसार प्रत्येक 9 वर्ग मीटर स्टॉल के लिए 3 'X6' आकार के कुल 18 वर्ग फीट के 3 पैनल पोस्टर तैयार करना। एजेंसी द्वारा तैयार किए गए पैनल और पोस्टर आयाम में समान होंगे और मुद्रण की गुणवत्ता अंतरराष्ट्रीय स्तर की होनी चाहिए।

5.3.3 बिना किसी अतिरिक्त लागत के प्रदर्शकों द्वारा प्रदान किए गए डिजाइन के अनुसार पोस्टरों की छपाई, आपूर्ति और चिपकाना सुनिश्चित करना।

5.3.4 संबंधित प्रदर्शकों से टीपी/डिजाइन की व्यवस्था की जाएगी। समरूपता बनाए रखने के लिए एजेंसी द्वारा तैयार किए गए पैनल और पोस्टर आयामों में समान होंगे।

5.3.5 पवेलियन के चारों ओर ब्रांड " India" का प्रचार सुनिश्चित करना और यह आयोजकों द्वारा अनुमति के अनुसार ऊंचा होना चाहिए।

5.3.6 सभी वैयक्तिक स्टॉल लकड़ी की सामग्री से निर्मित होंगी और आधुनिक समकालीन और मनोहर दृष्टिकोण प्रदर्शित करेंगी। स्टॉल को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि यह प्रदर्शकों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने में सक्षम बनाए और संभावित खरीदारों/आगंतुकों के साथ बातचीत को सुविधाजनक बनाने में सहायता करे। प्रत्येक वैयक्तिक स्टॉल को उचित वॉल से लेकर नए वॉल कार्पेट, बैंक लिट वैयक्तिक प्रावर्णी, 4 कुर्सियाँ, 1 गोल मेज , 1 अपशिष्ट कागज की टोकरी, 6 डिस्प्ले शेल्क्स, स्टोरेज के साथ 1 लॉक करने योग्य काउंटर, 1 पावर प्वाइंट सॉकेट और प्रत्येक 100 वाट की 6 लाइटें प्रदान की जाएगी।

5.4 ब्रांडिंग "भारत (इंडिया)":

5.4.1 "भारत (इंडिया) पवेलियन" का समग्र स्वरूप समकालीन और सुरुचिपूर्ण होना चाहिए जो आधुनिक और प्राचीन भारत के रंग और जीवंतता को दर्शाता हो।

5.4.2 एजेंसी विभिन्न प्रमुख स्थानों पर अंग्रेजी, रूसी और हिंदी में "भारत" शीर्षक दर्शाने वाले अग्रभाग बोर्ड/ग्राफिक्स बनाना और लगाना सुनिश्चित करेगी।

- 5.4.3 **भारत (इंडिया)** (अंग्रेजी, रूसी और हिंदी में) और एपीडा लोगो की उपयुक्त बैकलिट ब्रांडिंग पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आयोजक के दिशा-निर्देशों के अनुसार इसकी लंबाई 3 मीटर और अधिकतम स्वीकार्य ऊंचाई होनी चाहिए। ब्रांडिंग को पूरे पवेलियन में प्रमुख स्थान पर किया जाना चाहिए।
- 5.4.4 एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि 'भारत (इंडिया) पवेलियन' के बैकलिट ब्रांडिंग का आयाम आयोजकों के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुमत आयामों से छोटा नहीं होना चाहिए।
- 5.4.5 एजेंसी को सामान्य ब्रांडिंग बैनर उपलब्ध कराने होंगे जो कि बिना किसी रिकल्स के स्ट्रेचेबल लाइक्रा या फ्लेक्स से बने होने चाहिए ताकि पवेलियन के समग्र स्वरूप में रिकल्स न पड़ें। इन बैनरों में चमकदार-सफेद लाइटिंग होनी चाहिए।
- 5.4.6 इवेंट आयोजक द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी ब्रांडिंग प्रावधानों की खरीद का समन्वय एपीडा की ओर से एजेंसी द्वारा किया जाएगा।
- 5.4.7 एपीडा और भारत (इंडिया) ब्रांडिंग वाले अच्छी गुणवत्ता के 300 जूट बैग का प्रावधान (दोनों तरफ ब्रांडिंग के साथ लंबाई-12 इंच, चौड़ाई-18 इंच)। इसका एक बिल साक्ष्य के तौर पर एपीडा को प्रस्तुत किया जाएगा।

5.5 वेट सैम्पलिंग एरिया के लिए विनिर्देश:

- 5.5.1 इंडिया पवेलियन में एक वेट सैम्पलिंग एरिया शामिल होगा और एजेंसी इसके लिए निम्नलिखित विनिर्देशों के अनुसार आवश्यक व्यवस्था करना सुनिश्चित करेगी।
- 5.5.2 ऐसे क्षेत्र का उपयोग निर्दिष्ट पेय पदार्थों, बासमती चावल, मिलेट्स उत्पादों और अन्य प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की वेट सैम्पलिंग के लिए किया जाएगा और वहां प्रदर्शन काउंटर, अलमारियां आदि होंगी।
- 5.5.3 वेट सैम्पलिंग के लिए उत्पाद और मात्रा इस प्रकार है:
- (क) वेज बिरयानी के लिए 10 किलो बासमती चावल
 - (ख) नॉन- वेज बिरयानी के लिए 10 किलो बासमती चावल
 - (ग) जैविक चाय, कॉफी, जैविक हल्दी लट्टे आदि।
- एजेंसी एपीडा के दिल्ली कार्यालय से मॉस्को स्थित एपीडा पवेलियन तक प्रदर्शित किए जाने वाले उत्पादों (जैसा कि खंड 5.2.10 में उल्लेख किया गया है) के साथ उपर्युक्त उत्पादों के परिवहन के लिए एपीडा अधिकारियों के साथ समन्वय करेगी।
- एजेंसी परिवहन, वितरण, क्राँकरी, व्यंजनों की तैयारी और परोसने के लिए उचित व्यवस्था करेगी।
- 5.5.4 वेट सैम्पलिंग एरिया में उपयोग की जाने वाली सामग्री के लिए अलग से राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

5.6 अन्य गतिविधियाँ/कर्तव्य:

5.5.1 एजेंसी को एपीडा की ओर से अनुमानित बिजली लोड और बुक का आकलन करना होगा।

5.5.2 बिजली आपूर्ति और मुख्य विद्युत कनेक्शन, जल आपूर्ति और अन्य सहायता प्रणाली आदि के संबंध में आयोजकों की अनुशंसा/दिशानिर्देश/निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना।

5.5.3 एजेंसी को भारतीय वेशभूषा में तैयार 2 महिला परिचारिका-सह-दुभाषिया तथा 2 पुरुष परिचारिकाओं का प्रावधान करना होगा, जो इवेंट के सभी दिनों के लिए पवेलियन में उपस्थित रहेंगे।

5.5.4 एजेंसी को आगंतुकों के हाथों पर जैविक मेंहदी लगाने की व्यवस्था करनी होगी और इसमें पर्याप्त श्रमशक्ति, सामग्री और उपकरण का प्रावधान शामिल होगा।

5.5.5 एजेंसी एपीडा पवेलियन में आने वाले गणमान्य व्यक्तियों के लिए भारत (इंडिया) ब्रांडिंग के साथ पांच कॉर्पोरेट उपहारों की व्यवस्था करेगी, जिनकी कीमत 5,000/- रुपये (पांच हजार रुपये मात्र) होगी। इसका बिल साक्ष्य के तौर पर एपीडा को प्रस्तुत किया जाएगा।

5.5.6 एजेंसी 17 सितंबर 2024 से शुरू होकर पांच दिनों तक हर दिन चाय, ग्रीन टी, कॉफी, कुकीज़, काजू, जूस की आपूर्ति के लिए उपयुक्त व्यवस्था करेगी।

5.5.7 एजेंसी को वर्ल्ड फूड, मॉस्को के सहभागियों के विवरण सहित प्रदर्शक निर्देशिका (अंग्रेजी में) (आकार: 6x8 इंच लगभग) की 100 प्रतियों के मुद्रण का प्रावधान करना होगा (जिनमें से 90 प्रतियां मेला स्थल पर एपीडा टीम को सौंपी जाएंगी और शेष 10 प्रतियां बिलों के साथ दिल्ली कार्यालय में एपीडा अधिकारियों को प्रस्तुत की जाएंगी)।

5.5.8 एजेंसी को विज्ञापन के लिए प्रदर्शकों के वीडियो प्रदर्शित करने के लिए अच्छी दृश्यता वाले प्रमुख स्थान पर एपीडा थीम पवेलियन/सामान्य एरिया में या उसके आसपास 3 x 2 मीटर आकार के कम से कम 2 एलईडी स्क्रीन लगाने की व्यवस्था करनी होगी। एजेंसी एपीडा थीम पवेलियन / सामान्य एरिया में ऐसे एलईडी स्क्रीन पर अपने उत्पादों के विज्ञापन वीडियो चलाने के लिए प्रदर्शकों के साथ समन्वय भी करेगी। इसके लिए प्रदर्शक को एपीडा द्वारा निर्धारित दरों पर एपीडा को भुगतान करना होगा। उत्पादों का वीडियो प्रदर्शक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा और एजेंसी इसे स्क्रीन पर चलाने के लिए आवश्यक प्रारूप में परिवर्तित करेगी।

5.5.9 एजेंसी को प्रदर्शनी के प्रत्येक दिन की गतिविधियों के शुरू होने से पहले पूरे पवेलियन के उचित रखरखाव और नियमित सफाई की व्यवस्था करनी होगी।

5.5.10 एजेंसी को इंडिया पवेलियन (अर्थात् दोनों हॉल) में तथा उसके आसपास पूर्ण अग्नि निवारण एवं अग्निशमन व्यवस्था करनी होगी।

- 5.5.11 एजेंसी संगठन द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं से संबंधित प्रदर्शकों की चिंताओं के समाधान की व्यवस्था करेगी।
- 5.5.12 आगंतुकों के लिए ब्रोशर, लैपल पिन, फ्रिज मैग्नेट के रूप में स्मृति चिन्ह, जिनकी संख्या कम से कम 5000 हो तथा जिनका डिजाइन एपीडा द्वारा अनुमोदित हो।
- 5.5.13 एजेंसी को यह व्यवस्था करनी होगी कि पवेलियन के निर्माण-कार्य और रखरखाव तथा इवेंट के अंत तक समन्वय के लिए उपयुक्त श्रमशक्ति स्थल पर मौजूद रहे।
- 5.5.14 एजेंसी को इस संबंध में शो आयोजक/स्थल मालिक के दिशा-निर्देशों के अनुसार इवेंट के समापन के बाद सभी फर्नीचर, फिक्सचर और अन्य सामग्री को हटाने के बाद पवेलियन स्थल का खाली और साफ किया हुआ मेला आयोजक को सौंपने की व्यवस्था करनी होगी।

6 अन्य निर्देश- सामान्य:

- 6.1 उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध वर्ल्ड फूड मॉस्को - 2024 के दिशानिर्देशों/विनियमों का पालन करना।
- 6.2 एजेंसी को स्थल के उपयोग और योजनाओं आदि के अनुमोदन के लिए संबंधित प्राधिकारियों को आवश्यक दस्तावेज और आवेदन पत्र समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना होगा।
- 6.3 एजेंसी मुख्य बिजली/बिजली कनेक्शन प्राप्त करने और प्रदर्शनी अवधि के दौरान “इंडिया पवेलियन” में प्रत्येक बिंदु/स्टॉल पर बिजली आपूर्ति के दोषरहित वितरण की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार होगी। एजेंसी अनुमानित बिजली लोड का उपयोग करेगी और एपीडा की ओर से और उसके परामर्श से बुक करेगी। बिजली आपूर्ति प्राप्त करने के लिए एजेंसी द्वारा भुगतान की गई वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति एपीडा द्वारा की जाएगी। ऐसे खर्चों की प्रतिपूर्ति आयोजक बिलों और एजेंसी द्वारा आयोजक इकाई को भुगतान के प्रमाण प्रस्तुत करने पर इवेंट के लिए एजेंसी के बिल के समाशोधन के समय की जाएगी।
- 6.4 हालांकि, प्रदर्शकों को निर्धारित सीमा से अधिक अतिरिक्त बिजली आपूर्ति एजेंसी द्वारा प्रदर्शकों द्वारा स्वयं भुगतान किए जाने पर ही की जाएगी। प्रदर्शकों से ऐसे शुल्कों की वसूली के लिए एजेंसी स्वयं जिम्मेदार होगी। एपीडा किसी भी अतिरिक्त बिजली भार के लिए भुगतान नहीं करेगा।
- 6.5 एजेंसी पूरे इंडिया पवेलियन के लिए नए खरीदे गए कालीनों की व्यवस्था करेगी और वह भी एपीडा द्वारा अंतिम रूप दिए गए रंग के अनुसार।
- 6.6 एजेंसी निर्माण के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग करेगी और साथ ही वॉल पैनल, फर्नीचर, प्रदर्शन सहायक सामग्री आदि बनाने के लिए योग्य कारीगरों को नियुक्त करेगी।

6.7 एजेंसी को दैनिक आधार पर इंडिया पवेलियन की सफाई की व्यवस्था करनी होगी तथा पूरे दिन सफाई बनाए रखनी होगी।

6.8 एजेंसी को प्रदर्शनी/मेले के समापन के बाद आयोजन स्थल पर कोई भी कबाड़, बचा हुआ भोजन, कचरा आदि न छोड़ने की व्यवस्था करनी होगी तथा सभी प्रकार से पूरी तरह से साफ और स्वच्छ स्थान को संबंधित मेला प्राधिकरण को सौंपना होगा।

6.9 एजेंसी को कार्यक्रम स्थल खाली करने और अनुमोदित एजेंसी को सौंपने से पहले शो आयोजकों और अन्य विक्रेताओं से संबंधित सभी बकाया राशि के निपटान और/या भुगतान की व्यवस्था करनी होगी।

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश – तकनीकी

6.10 यह एजेंसी की जिम्मेदारी होगी कि वह इंडिया पवेलियन की 3डी छवियां/ प्रेजेंटेशन (हार्ड और सॉफ्ट कॉपी दोनों) प्रदान करे , जिसमें विभिन्न कोणों से इंडिया पवेलियन का पूरा प्रक्षेपण स्पष्ट रूप से दिखाई दे। इसमें संपूर्ण डिस्प्ले सहायक उपकरण और फर्नीचर के साथ सभी आकार के बूथ का संपूर्ण 3डी लुक भी दिखना चाहिए। प्रेजेंटेशन में ग्राफिक्स आदि भी विस्तार से दिखना चाहिए।

6.11 एजेंसी द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री जैसे वॉल पैनल, लकड़ी की सामग्री , फर्नीचर, डिस्प्ले सहायक सामग्री आदि उपयुक्त गुणवत्ता की होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त , प्रदान किए जाने वाले फर्नीचर की तस्वीरें तकनीकी समिति के समक्ष प्रस्तुति के समय दिखाई जाएंगी, प्रस्तुत की जाएंगी और विधिवत अनुमोदित की जाएंगी।

7 नियम एवं शर्तें:

7.1 एपीडा के दिशा-निर्देशों एवं मार्गदर्शन में अनुमोदित बोलीदाता कार्य करेगा। यह सुनिश्चित करना एजेंसी की एकमात्र जिम्मेदारी होगी कि एपीडा के लिए उनके द्वारा की गई सभी गतिविधियां कानूनी ढांचे के अनुसार हों।

7.2 बोली दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर एपीडा को प्रस्तुत करने से पहले अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। हस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में प्राधिकरण पत्र अनुलग्नक-1 के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

7.3 एपीडा की अपेक्षा है कि इस अनुबंध का निष्पादन करने वाली एजेंसी, अनुबंध की अवधि के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानक का पालन करे तथा एजेंसी की कार्यवाही सतर्कता जांच के दायरे में न आए।

7.4 बोलीदाताओं को बोली दस्तावेजों की तैयारी और एपीडा को प्रस्तुत करने से जुड़ी लागत वहन करनी होगी।

7.5 एपीडा कार्य प्रदान करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा यदि यह निर्धारित किया जाता है कि प्रस्ताव के लिए अनुशंसित एजेंसी अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा में भ्रष्ट या धोखाधड़ी प्रथाओं में लिप्त है।

7.6 एपीडा किसी आवेदक/बोलीदाता को या तो अनिश्चित अवधि या निश्चित अवधि के लिए अनुबंध/अनुबंधों को सौंपने के लिए अयोग्य घोषित करेगा, यदि यह किसी भी समय निर्धारित करता है कि आवेदक/बोलीदाता अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा करने या निष्पादित करने में भ्रष्ट या धोखाधड़ी प्रथाओं में लिप्त है।

7.7 एपीडा के पास निम्न अधिकार सुरक्षित हैं:

- (i) पवेलियन और ग्राफिक्स के डिजाइनिंग के कॉपी राइट पर स्वामित्व।
- (ii) किसी भी स्तर पर डिज़ाइन योजना में मामूली बदलाव करना।
- (iii) अपने विवेक से आवेदनों/बोली दस्तावेजों को जमा करने की समय सीमा बढ़ाना।
- (iv) बिना कोई कारण बताए और एपीडा पर किसी भी दायित्व के बिना, अनुबंध/आदेश देने से पहले किसी भी समय किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करना।
- (v) परियोजना को स्थगित करना, चयनित पार्टों के साथ अनुबंध को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से किसी भी समय रद्द करना यदि एपीडा की राय में यह जनहित में आवश्यक या समीचीन है। इस संबंध में एपीडा का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। एपीडा उपरोक्त कार्रवाई से हुई या उत्पन्न किसी भी क्षति या हानि के लिए भी जिम्मेदार नहीं होगा।
- (vi) अनुबंध के नियमों और शर्तों को संशोधित करना जो सफल बोलीदाता को बोली प्रक्रिया के बाद प्रदान किया जाएगा, यदि एपीडा की राय में, सार्वजनिक हित में या परियोजना के उचित कार्यान्वयन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है। इस संबंध में एपीडा का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

इस दस्तावेज़ के किसी भी खंड की व्याख्या के लिए एपीडा का निर्णय अंतिम और बोलीदाता के लिए बाध्यकारी होगा।

8. चयन प्रक्रिया:

चयन प्रक्रिया में बोली-पूर्व बैठक, प्राप्त बोली दस्तावेजों का मूल्यांकन, चयन समिति के समक्ष बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुतिकरण तथा दस्तावेजों और प्रस्तुतिकरण के अंकों के आधार पर बोलीदाताओं की अंक-पत्रिका तैयार करने के लिए वित्तीय बोलियों को खोलना शामिल है।

- 8.1 इस इवेंट के संबंध में बोली पूर्व बैठक **01 जुलाई 2024 (सोमवार) को दोपहर 12 बजे** एपीडा, नई दिल्ली के कॉन्फ्रेंस रूम में आयोजित की जाएगी और बोली पूर्व बैठक के कार्यवृत्त को बोली पूर्व बैठक की तारीख से 1 दिन के भीतर सीपीपी/एपीडा वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोली जमा करने के लिए बोली पूर्व बैठक के कार्यवृत्त की

प्रतिक्षा करें।

8.2 पैरा 15 के अनुसार विधिवत पूर्ण बोलियां 15 जुलाई 2024 (सोमवार) को शाम 5:00 बजे तक प्रस्तुत की जानी हैं।

8.3 बोलियों का मूल्यांकन:

8.3.1 एपीडा की एक समिति प्राप्त दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच करेगी और निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली बोलीदाता एजेंसियों को शॉर्टलिस्ट करेगी। शॉर्टलिस्ट की गई एजेंसियों को चयन समिति के समक्ष तकनीकी प्रस्तुति देनी होगी।

8.3.2 बोलियों का मूल्यांकन दो चरणों में किया जाएगा – पहला, तकनीकी मूल्यांकन, और दूसरा, वित्तीय बोली खोलना।

8.3.3 बोलियों के तकनीकी मूल्यांकन के लिए, एपीडा द्वारा निर्दिष्ट तिथि और समय पर बोलीदाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में चयन समिति के समक्ष एक प्रस्तुति आयोजित की जाएगी।

8.3.4 प्रस्तुति के अंक निम्नलिखित क्षेत्रों में क्रेडेंशियल के लिए दिए जाएंगे:

क्र.सं.	क्षेत्र	अधिकतम अंक	
(i)	समग्र अवधारणा व डिज़ाइन	30	
(ii)	फोटो, ग्राफिक्स, आकर्षक रंग योजना आदि के संयुक्त उपयोग से ठोस खाद्य उत्पादों के स्रोत के रूप में इंडिया पर्वेलियन थीम क्षेत्र का महत्वपूर्ण चित्र	20	
(iii)	एपीडा को आवंटित फर्श क्षेत्र और स्थान के सर्वोत्तम उपयोग के अनुसार संरचना का उचित आयाम	10	
(iv)	पिछले 5 वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी का औसत कारोबार। अंकों का विवरण नीचे दिया गया है:	5	
	क. 4-6 करोड़ रु.		3 अंक
	ग. 6 करोड़ रु. से अधिक		5 अंक
(v)	प्रस्तावित वर्ल्ड फूड मॉस्को - 2024 के लिए पिछले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यों की प्रकृति समान है। अंकों का विवरण नीचे दिया गया है:	5	
	क. 4-6 वर्ष		3 अंक
	ख. 6 वर्ष से अधिक		5 अंक

8.4 सभी प्रस्तुतियों पर मार्किंग की जाएगी। तकनीकी प्रस्तुतियों में न्यूनतम 70% अंक (70 में से 49 अंक) प्राप्त करने वाले विक्रेताओं को शोर्ट लिस्ट किया जाएगा और केवल उनकी वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी। वित्तीय बोली अधिकतम 30 अंकों की होगी।

8.5 गुणवत्ता और लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस) पद्धति के अंतर्गत वित्तीय बोलियों पर अंकन निम्नलिखित पद्धति के अनुसार किया जाएगा:

एल1 = 30 अंक

एल2 = 30 एक्सएल 1 (एल1 द्वारा कोट की गई लागत)/एल2 (एल2 द्वारा कोट की गई लागत) एल3,

एल4 आदि के समान। (पक्षों की संख्या के आधार पर)।

- 8.6 वित्तीय बोलियों पर अंकों की गणना के बाद, तकनीकी प्रस्तुति और वित्तीय बोलियों के अंकों को जोड़ा जाएगा और उच्चतम कुल अंक प्राप्त करने वाले बोलीदाता का चयन किया जाएगा।
- 8.7 चयन समिति अनुबंध/आदेश दिए जाने से पहले बिना कोई कारण बताए और एपीडा पर कोई दायित्व डाले बिना किसी भी समय घोषणा वापस लेने, किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। एपीडा कीमतों को कम करने या अधिक सुविधाएँ जोड़ने के लिए चयनित एजेंसियों के साथ कीमतों पर बातचीत करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

9. अपरिहार्य घटना:

यदि किसी भी समय, इस अनुबंध की निरंतरता के दौरान, किसी भी पक्ष द्वारा, इसके तहत किसी भी दायित्व के पूर्ण या आंशिक रूप से कार्य-निष्पादन, शत्रुता, या विरोध द्वारा, सार्वजनिक शत्रु के कार्य, नागरिक हंगामा, तोड़फोड़, राज्य या सांविधिक प्राधिकरण से निर्देश, एक्सप्लोजन, महामारी, संगरोध प्रतिबंध, हड़ताल और तालाबंदी (जैसा कि ठेकेदार के प्रतिष्ठानों और सुविधाओं तक सीमित नहीं है), आग, बाढ़, प्राकृतिक आपदाएं (इसके बाद घटना के रूप में संदर्भित), बशर्ते कि ऐसी किसी भी घटना के होने की सूचना उसके घटित होने की तारीख से 15 कैलेंडर दिनों के भीतर प्रभावित पक्ष द्वारा दूसरे को दी जाती है, इस तरह की घटना के कारण कोई भी पक्ष इस अनुबंध को समाप्त करने का हकदार नहीं होगा, और न ही किसी भी पक्ष के पास इस प्रकार के गैर-निष्पादन या निष्पादन में देरी के संबंध में अन्य के विरुद्ध हानि के लिए ऐसा कोई दावा होगा, बशर्ते अनुबंध व्यावहारिक रूप से, ऐसी घटना के समाप्त होने के बाद जल्द से जल्द फिर से शुरू हो जाए। अध्यक्ष, एपीडा का निर्णय कि क्या सेवा को फिर से शुरू किया जा सकता है (और समय सीमा जिसके भीतर सेवा फिर से शुरू की जा सकती है) अंतिम और निर्णायक होगा, बशर्ते कि यदि कार्य-निष्पादन पूर्ण या आंशिक रूप से इस अनुबंध के तहत दायित्व को 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए ऐसी किसी भी घटना के कारण रोका या विलंबित किया जाता है, कोई भी पक्ष अपने विकल्प पर अनुबंध को समाप्त कर सकता है।

10 विवाचन:

- 10.1 इससे उत्पन्न होने वाले विवाद के सभी मामले भारतीय कानून द्वारा अधिशासित होंगे और केवल नई दिल्ली में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।
- 10.2 दोनों पक्ष सुलह के माध्यम से किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।
- 10.3 किसी भी विवाद की स्थिति में दोनों पक्षों को सुलह प्रक्रिया के माध्यम से समाधान करने का हरसंभव प्रयास करना होगा।
- 10.4 इसके संबंध में अनसुलझे समझौते के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, विवाद या

मतभेद की स्थिति में (मामलों को छोड़कर, निर्णय जो विशेष रूप से इस समझौते के तहत प्रदान किया गया है) इसे भारतीय मध्यस्थतम और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार अध्यक्ष, एपीडा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा और दिया गया निर्णय पार्टियों पर बाध्यकारी होगा।

10.5 भारतीय मध्यस्थतम और सुलह अधिनियम 1996 (समय-समय पर यथासंशोधित) के प्रावधान दोनों पक्षों पर लागू होंगे। मध्यस्थतम कार्यवाही का स्थान एपीडा कार्यालय या अध्यक्ष, एपीडा द्वारा निर्धारित किया गया कोई अन्य स्थान होगा। पूर्वोक्त किसी भी संदर्भ पर, कार्य हेतु कार्यवाही में लागत और आकस्मिक खर्चों का आकलन अध्यक्ष, एपीडा के विवेक पर होगा।

10.6 मध्यस्थतम को देय शुल्क का भुगतान दोनों पक्षों द्वारा समान रूप से किया जाएगा। मध्यस्थतम कार्यवाही में प्रयुक्त भाषा अंग्रेजी होगी।

11. क्षतिपूर्ति:

एजेंसी बीईडीएफ और उसके अधिकारियों/कर्मचारियों को एजेंसी/, उसके उप ठेकेदारों, उपएजेंटों-, कर्मचारियों, आदि द्वारा उत्तरवर्ती अवधि से संबंधित अनुबंध के तहत उसके किसी भी दायित्व के उल्लंघन से उत्पन्न सभी कार्यवाही , कार्यों, हानियों, क्षतियों, व्ययों, लागतों और तीसरे पक्ष के दावों के खिलाफ क्षतिपूर्ति, बचाव और हानिरहित रखेगी , चाहे वह वित्तीय हो या अन्यथा , जिसमें ईपीएफओई/एसआईसी सांविधिक प्राधिकरणों आदि को देय योगदान के/स्थानीय निकायों/सरकारी विभागों/ भुगतान के लिए देयता शामिल हैं, जिसका सामना बीईडीएफ को अनुबंध के निर्वाह के दौरान किसी भी समय करना पड सकता है।

12. बौद्धिक संपदा अधिकार:

12.1 एपीडा के नाम/लोगो/आईपीआर के ऐसे किसी भी दुरुपयोग/गलत बयानी/अनधिकृत उपयोग के कारण एपीडा किसी तीसरे पक्ष को होने वाले किसी भी नुकसान या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

12.2 एजेंसी एपीडा के नाम/लोगो/आईपीआरएस के किसी भी दुरुपयोग/गलत बयानी/अनधिकृत उपयोग और/या उनके/उनके उप-एजेंटों/उप- संविदाकारों /कर्मचारियों आदि द्वारा किए गए किसी भी बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित किसी भी दावे के विरुद्ध एपीडा को क्षतिपूर्ति करेगी।

12.3 एपीडा ऐसे उल्लंघनों के लिए आवश्यक कानूनी और अन्य उपचारात्मक कार्रवाई करेगा, जो उचित समझी जाएगी।

13. भुगतान की शर्तें:

13.1. प्राप्तकर्ता एजेंसी को भुगतान निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार किया जाएगा:

- 13..1.1 व्यय का प्रमाण प्रस्तुत करने पर या कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के पक्ष में समान राशि की बैंक गारंटी के आधार पर कुल लागत का 30% तक अग्रिम भुगतान।
- 13..1.2 इवेंट के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारी की संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त होने के अनुसरण में कार्यक्रम के पूरा होने पर शेष राशि जारी की जाएगी।
- 13..1.3 भुगतान केवल कार्यक्षेत्र के अनुसार साइट पर किए गए वास्तविक कार्य के लिए जारी किया जाएगा जो आवश्यकता के अनुसार बढ़ या घट सकता है।

13.2 अंतिम भुगतान करने के लिए पूर्व शर्तें (हार्ड कॉपी)

- 13.2.1 एजेंसी को पवेलियन के अंतिम डिजाइन, पैनल/पोस्टर (सीडीआर प्रारूप में), प्रदर्शक निर्देशिका की सॉफ्ट कॉपी, एपीडा के लिए तैयार इवेंट रिपोर्ट (पीडीएफ प्रारूप) की सॉफ्ट कॉपी इवेंट पूरा होने के 10 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। इवेंट रिपोर्ट की 2 हार्ड कॉपी भी जमा करनी होगी। इसे एपीडा की संपत्ति माना जाएगा।
- 13.2.2 एपीडा पवेलियन की उच्च रिजोल्यूशन वाली फोटोग्राफी/वीडियो, जिसमें सभी दिनों के लिए पूरे इवेंट के विभिन्न एंगल्स से पूरे पवेलियन एरिया को कवर किया गया हो।
- 13.2.3 साथ ही, इवेंट के बाद शो के सभी दिनों का 3 मिनट का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने के लिए सबमिट करना होगा। इन गतिविधियों के लिए, एक पेशेवर फोटोग्राफर/वीडियोग्राफर की सेवाएँ ली जाएं।
- 13.2.4 एजेंसी को दो फोटो एलबम जमा करने होंगे, जिसमें 5 इंच x 7 इंच आकार की कम से कम 400 (प्रत्येक दिन के लिए 100) तस्वीरें हों, जो प्रत्येक बूथ के साथ-साथ पवेलियन के अन्य क्षेत्र को कवर करती हों। इसे पेन ड्राइव में जमा करना होगा, जिसमें 1000 तस्वीरें (प्रत्येक दिन के लिए 200) हों।
- 13.2.5 भुगतान के समर्थन में बैंक स्टेटमेंट के साथ पवेलियन एरिया के लिए बिजली बिल प्रस्तुत करना।
- 13.2.6 प्रदर्शनी स्थल पर इवेंट की देखरेख के लिए नियुक्त एपीडा अधिकारी की संतोषजनक प्रदर्शन रिपोर्ट
- 13.2.7 यह पुनः कहा जाता है कि अतिरिक्त गतिविधियों के लिए एपीडा द्वारा अनुमोदित लागत को छोड़कर, किसी भी अतिरिक्त लागत पर विचार नहीं किया जाएगा।

13.3 अंतिम भुगतान करने के लिए पूर्व शर्तें (सॉफ्ट कॉपी)

- 13.3.1 एजेंसी को पवेलियन के अंतिम डिजाइन, पैनल/पोस्टर (सीडीआर प्रारूप में), प्रदर्शक निर्देशिका की सॉफ्ट कॉपी, एपीडा के लिए तैयार इवेंट रिपोर्ट (पीडीएफ प्रारूप) की सॉफ्ट कॉपी इवेंट पूरा

होने के 10 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। इवेंट रिपोर्ट की 2 हार्ड कॉपी भी जमा करनी होगी। इसे एपीडा की संपत्ति माना जाएगा।

13.3.2 अनुमोदित एजेंसी को कम से कम 100 फोटोग्राफ (आकार: 5x7 इंच) युक्त एक फोटो एलबम प्रस्तुत करना होगा, जिसमें प्रत्येक बूथ के साथ-साथ पवेलियन के अन्य क्षेत्र को भी शामिल किया गया हो और पेन ड्राइव में 900 फोटो (प्रत्येक दिन के लिए 300) और सभी दिनों के लिए इंडिया पवेलियन का उच्च रिज़ॉल्यूशन वीडियो (वर्ल्ड फूड मॉस्को -2024) जिसमें पूरे पवेलियन क्षेत्र को विभिन्न एंगल्स से शामिल किया गया हो। इसके अतिरिक्त, आयोजक को सौंपे जाने के समय साइट की तस्वीरें और वीडियो भी प्रस्तुत किए जाएंगे।

13.3.3 एपीडा के दिल्ली कार्यालय में 10 प्रदर्शकों की निर्देशिका प्रस्तुत की गई हो।

13.3.4 पवेलियन एरिया के लिए बिजली बिल तथा भुगतान के समर्थन में बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत करना।

13.3.5 प्रदर्शनी क्षेत्र में आगे भेजने के लिए नमूनों के वजन को उचित ठहराने के लिए एपीडा से एकत्र नमूनों के संबंध में माल ढुलाई शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए बिल और अन्य सहायक दस्तावेज।

13.3.6 प्रदर्शनी स्थल पर इवेंट की देखरेख के लिए नियुक्त एपीडा अधिकारी का संतोषजनक प्रदर्शन।

13.3.7 यदि कोई अतिरिक्त गतिविधि करने की आवश्यकता हो, तो ईमेल के माध्यम से इवेंट में नियुक्त वरिष्ठतम अधिकारी से विशिष्ट पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

14. कार्य-निष्पादकता आश्वासन:

यदि एजेंसी की कार्य-निष्पादकता कसौटी पर खरा नहीं उतरता है या किसी भी प्रकार की कमी रह जाती है/कार्य-क्षेत्र में औसत दर्जे से कम आउटपुट दिया जाता है तो अंतिम भुगतान के समय एपीडा द्वारा कुल बोली मूल्य का एक हिस्सा नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में एपीडा का निर्णय अंतिम होगा।

15. तकनीकी और वित्तीय बोलियां प्रस्तुत करने के लिए दिशानिर्देश:

15.1 बोलीदाता/एजेंसियां कृपया ध्यान दें कि सशर्त बोलियां स्वीकार्य नहीं हैं और उन्हें यथाशीघ्र अस्वीकार कर दिया जाएगा।

15.2 तथ्यों का गलत प्रस्तुतीकरण/बोली वापस लेने पर ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।

15.3 प्रस्तुत बोली में किसी भी प्रकार का संशोधन या प्रतिस्थापन नहीं किया जाएगा। कोई भी आवेदक आवेदन जमा करने के बाद अपना आवेदन वापस ले सकता है, बशर्ते कि आवेदन जमा करने की समय सीमा समाप्त होने से पहले एपीडा को आवेदन वापसी की लिखित सूचना प्राप्त हो। यदि कोई आवेदक अपना आवेदन पुनः जमा करना चाहता है, तो उसे निर्धारित तिथि तक सभी लागू शर्तों का पालन करते हुए नया आवेदन जमा करना होगा।

15.4 किसी भी बोलीदाता द्वारा आवेदन सह प्रसंस्करण शुल्क और बयाना राशि जमा न करने की स्थिति में उनकी बोली को सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

15.5 आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त बोलियों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा या उन्हें खोला नहीं जाएगा। ईमेल के माध्यम से प्राप्त बोलियों पर भी विचार नहीं किया जाएगा।

15.6 विधिवत पूर्ण बोलियां निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार चार लिफाफों में प्रस्तुत की जाएंगी:

लिफाफा- I: इस लिफाफे में निम्नलिखित दस्तावेज होंगे:

- (i) आवेदन सह प्रसंस्करण शुल्क के रूप में नई दिल्ली में देय एपीडा के पक्ष में जीएसटी सहित 17,700/- रुपये (सत्रह हजार सात सौ मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट।
- (ii) ब्याज मुक्त बयाना राशि जमा (ईएमडी) के रूप में नई दिल्ली में देय एपीडा के पक्ष में 5,00,000/- रुपये (पाँच लाख रुपये मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट,

लिफाफा मुहरबंद होना चाहिए और उस पर “वर्ल्ड फूड मॉस्को 2024 के लिए आवेदन-सह-प्रसंस्करण शुल्क और ईएमडी” अंकित होना चाहिए।

लिफाफा-II: लिफाफे में निम्नलिखित दस्तावेज होंगे:

- (i) अनुलग्नक-I के अनुसार ईएमसी विवरण (विधिवत भरा हुआ) और सहायक दस्तावेज
- (ii) अनुलग्नक -III (सीए प्रमाणपत्र)
- (iii) अनुलग्नक -IV (कोई ब्लैक लिस्टेड घोषणा नहीं)

इस लिफाफे को मुहरबंद किया जाना चाहिए और उस पर 17-20 सितंबर 2024 तक मॉस्को, रूस में वर्ल्ड फूड मॉस्को 2024 में 'एपीडा पवेलियन' के डिजाइन, निर्माण-कार्य और रखरखाव के लिए तकनीकी बोली लिखा होना चाहिए।

लिफाफा III: इस लिफाफे में निम्न होगा:

- (i) अनुलग्नक 2 (वित्तीय बोली) विधिवत भरा हुआ, सहायक दस्तावेजों सहित, यदि कोई हो।
- (ii) अनुलग्नक 3 (वैकल्पिक मर्दों के लिए कोटेशन)

इस लिफाफे को मुहरबंद किया जाना चाहिए और उस पर “17-20 सितंबर 2024 तक मॉस्को, रूस में वर्ल्ड फूड मॉस्को 2024 में 'एपीडा पवेलियन' के डिजाइन, निर्माण-कार्य और रखरखाव के लिए वित्तीय बोली” लिखा होना चाहिए।

लिफाफा IV: मास्टर लिफाफा: इस लिफाफे में निम्नलिखित लिफाफे होंगे:

(i) लिफाफा I, II और III को लिफाफा-IV के अंदर रखा जाना चाहिए और फिर से मुहरबंद किया जाना चाहिए।

(ii) सभी लिफाफों पर बोलीदाता एजेंसी का नाम स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए, साथ ही लिफाफों पर पूरा पता, टेलीफोन नंबर और ईमेल भी लिखा होना चाहिए।

इस मास्टर लिफाफे के ऊपर निम्नलिखित लिखा होना चाहिए:

“मॉस्को, रूस में 17-20 सितंबर 2024 तक आयोजित वर्ल्ड फूड मॉस्को में 'एपीडा पवेलियन' के डिजाइन, निर्माण-कार्य और रखरखाव के लिए बोली” और इसे निम्नलिखित पते पर प्रस्तुत किया जाएगा:

सचिव

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)
तीसरी-चौथी मंजिल, एनसीयूआई बिल्डिंग, अगस्त क्रांति मार्ग,
नई दिल्ली - 110 016

यदि बोलीदाता को किसी स्पष्टीकरण या अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता हो तो कृपया संपर्क करें:

श्री मान प्रकाश विजय

उप महाप्रबंधक

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद

निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)

तीसरी मंजिल, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली - 110 016

फोन: 91-11-41486013 /20863919 /20867008 /20867007

मेल: mpvijay@apeda.gov.in

बोलियाँ जमा करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2024 को सायं 5:00 बजे तक है।

बोली-पूर्व बैठक 01 जुलाई 2024 को दोपहर 12:00 बजे एपीडा मुख्यालय, नई दिल्ली के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की जाएगी।

*किसी भी भ्रांति की स्थिति में अंग्रेजी को वरीयता दी जाएगी।

Annexure-1

(to be placed in Envelope 1)

**TECHNICAL BID FOR DESIGNING, CONSTRUCTION AND MAINTENANCE OF
'APEDA PAVILION' AT WORLD FOOD MOSCOW 2024 FROM 17TH-20TH
SEPTEMBER 2024 IN MOSCOW, RUSSIA****Details of Bidder Agency
(on the Letter-Head of the Agency)**

S. No.	Particulars	Details		Page no
1	Name of Agency and Address			
2	Address as per GST Registration (also attach documents)			
3	Name, designation and contact details of authorized person including email id and mobile/ telephone no. (Please attach Authorisation Letter)			
4	Details of Registration /AOA & MOA (Please Attach copy)			
5	GST Certificate of Bidder Agency (Please Attach copy)			
6	Pan Card of Bidder Agency (Please Attach copy)			
7	Detailed Profile of the Agency including the staff strength on payroll			
8	Turnover during last five years (Please refer clause 4.2.2) (Average turnover Rs. 3,00,00,000) (Three Crores Only) (from business related to Conceptualising, Designing and Setting up of Pavilions for international Trade Fairs during any of the three years during the last 5 years) (Please attach CA certificate as per Annexure- 4 with copies of Work Orders). The turnover shall be in the name of applicant organization only and not that of group/ sister organizations.	Year	Turnover	
2019-20				
2020-21				
2021-22				
2022-23				
2023-24				

9	Experience Details (Please refer clause 4.2.1) (Please attach copies of Work Orders for designing, construction and maintenance of pavilion(s) of at least three international events covering an area of minimum 150 sq. mtrs (75% of the proposed area) or at least 3 Three events of not less than Rs. 50 Lakhs each during last 5 financial years organized outside India.		
10	Details of Demand Draft for Non- Refundable Application cum Processing Fee of Rs. 17,700/- (Rupees Seventeen Thousand Seven Hundred only)		
11	Details of Demand Draft for Interest-free Earnest Money Deposit “EMD” for Rs.5,00,000/- (Rupees Five Lakh only) / irrevocable and unconditional bank guarantee in favour of APEDA, New Delhi.		
12	Self-certified copy of “Exemption Certificate for exemption from submission of EMD by NSIC and MSME registered agency issued by respective authority. (Please Attach a copy)		
13	Self-Declaration that the agency has not been blacklisted by any Government office/ PSU/ any other Government organization and the same is not applicable as on date. (Please Attach duly filled in Annexure-5)		

Declaration

I hereby declare and confirm that all the information provided above is true and nothing has been concealed.

I agree to abide by the terms and conditions mentioned in this document.

I understand that if at any time, I am found to have concealed/distorted any material information or done any act or omission against the interest of APEDA, my contract shall be summarily terminated without any notice to me.

Signature of Authorised Representative

**(Name of Authorized Signatory)
Designation with company seal:**

Date:

Place:

E-mail ID:

Tel. No.:

Mobile No.:

Annexure-2

(to be placed in sealed Envelope-II)

Envelope III- Super-scribed as “ENVELOPE III- FOR WORLD FOOD MOSCOW 2024”**FINANCIAL BID for Designing, Construction and Maintenance of APEDA Pavilion at World Food Moscow scheduled to be held from 17-20 September, 2024 in Moscow, Russia.**

(Please note that: -

1. The Financial Bid must show component-wise rates in Indian Rupees only in respect of all the activities for the complete project of APEDA PAVILION at World Food Moscow, as per Layout Plan and terms and conditions of this document.
2. A Bid showing lump sum amount only shall not be considered
3. No additional cost shall be claimed, except that is already mentioned in the bid document, whatsoever it may be unless specific prior approval through written email in this regard is conveyed from the office of the Chairman APEDA.

Sr. No.	Activity/ Component	Amount in Rs.
1	Designing, Construction and Furnishing of Theme/ Common Area as per plan submitted covering details mentioned in clause 5.2 of RFP	
2	Designing, Construction and Furnishing of Exhibitor Stalls as per plan submitted covering details mentioned in clause 5.3 of RFP	
3	Wet Sampling Area as per clause 5.4 of RFP	
4	Branding as per clause 5.5 of RFP	
4	Other activities as per clause 5.6 of RFP	
	Amount of Applicable taxes	
	Total Amount (with taxes)	

Total Amount in words: Rupees**Signature of Authorised Representative
Company seal****Date:****Place:**

**BID FOR DESIGNING, CONSTRUCTION AND MAINTENANCE OF ‘APEDA
PAVILION’ AT WORLD FOOD MOSCOW 2024 FROM 17TH-20TH SEPTEMBER
2024 IN MOSCOW, RUSSIA**

**Quotation for Optional Items if Required by Exporter
for APEDA’s INDIA Pavilion at WORLD FOOD MOSCOW 2024**

(Note: - This quotation is not part of the Financial Bid.)

S. No	Item	Unit	Price in Rs.
1.	Shelves	Per unit	
2.	Showcase (Glass Counter)	Per unit	
3.	Table	Per unit	
4.	Chair	Per unit	
5.	Spotlights	Per unit	
6.	Lockable Counter	Per unit	
7.	Refrigerator	Per unit	
8.	Microwave	Per unit	
9.	Hot case	Per unit	
10.	LED with stand (minimum 50 inch)	Per unit	
11.	Magazine Rack	Per unit	
12.	Center Table	Per unit	
13.	Sofa with (3-Seater)	Per unit	
14.	Sofa with (2-Seater)	Per unit	

Date:
Representative

Signature of Authorized

Place:

Name

Company Seal

BID FOR DESIGNING, CONSTRUCTION AND MAINTENANCE OF ‘APEDA PAVILION’ AT WORLD FOOD MOSCOW 2024 FROM 17TH-20TH SEPTEMBER 2024 IN MOSCOW, RUSSIA

Proforma for CA Certificate

I /We, Proprietor / Partner / Director of _____ (Name of CA Firm) do hereby confirm that M/s. _____ (Bidder), a Proprietorship / Partnership / Company having its registered office at _____, having PAN No. _____ and GST No. _____ which is valid from _____ (copy attached) do hereby declare and affirm as under:

That the business entity is in existence in the present status from _____ (date) vide PAN and GST no. _____.

- The details of the business turnover in support of existence and experience in number of years and turnover criteria are as follows:
(on the basis of the financial statements of the entity)

S. No.	Financial Year	Turnover (in Rs.) in respect of services relating to rendering of similar service at international event(s) held outside India	No. of International Events Executed and the Maximum value of the Single assignment	
			No.	Maximum Value of single assignment
1	2019-20			
2	2020-21			
3	2021-22			
4	2022-23			
5	2023-24			

- The year wise details of the international events executed by the firm on its own is as follows:

S. No	Financial	Name of the Event,	Contracting Organisation –	Contract Value and	Financial Year wise
-------	-----------	--------------------	----------------------------	--------------------	---------------------

.	Year	Place and Country	Name & address	Value Realized	Total
1	2019-20				
2	2020-21				
3	2021-22				
4	2022-23				
5	2023-24				

3. That the above work was/ is obtained in the entity's own name and the billing was done and payment was collected in the entity's own bank account.
4. That the Financial statements and copies of the work orders are attached.

I have independently verified the above-mentioned details with books of accounts, returns, 26AS statements, Service tax returns, GST Returns and other related documents and found them to be true and correct

Signature
Name and designation
Seal of CA firm

Date:

Place:

Counter-signed:

Signature of Authorized Representative

Name of Authorised Representative (Partner/Proprietor / Director)

Company Seal

Date:

Place:

ANNEXURE-5
(To be placed in Envelope-1)
(To be provided on the Letter Head of the Agency)

**BID FOR DESIGNING, CONSTRUCTION AND MAINTENANCE OF ‘APEDA
PAVILION’ AT WORLD FOOD MOSCOW 2024 FROM 17TH-20TH SEPTEMBER
2024 IN MOSCOW, RUSSIA**

To
The Secretary,
APEDA,
New Delhi-110016

Subject: Declaration for not being Black-Listed

Sir,

With reference to the bid on the subject cited above, I, (Name and designation of the Signatory) hereby declare and confirm that M/s. ... (Name of the Agency) has not been black-listed or declared as ineligible by the Central Government/ State Government / Public Sector Undertaking from participating in future bids due to unsatisfactory performance, corrupt, fraudulent or any unethical business practices or any other reasons, as on the date of submission of the bid.

Signature

(Name of Authorised Signatory)

Designation:

Company Seal

Date:

Place: